संख्या-7/2016/1/3/98-का-प्रसको-2016

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ   लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 2016

विषय:- विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश सरकार के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भांति उत्तर प्रदेश राज्य के प्रादेशिक सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों को भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा निजी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समसंख्यक शासनादेश दिनांक 14 जून, 1999 के प्रस्तर-2 में निम्न उप प्रस्तर जोड़े जाने हेतु शासन द्वारा लिये गये निर्णय से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे-संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक आदि के साथ-साथ किसी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी, संस्था, स्वायत्तशासी संस्था चाहे वह केन्द्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व में हो अथवा न हो, में प्रतिनियुक्ति संबंधी सरकारी सेवकों के आवेदन पत्र अग्रसारित करने पर विचार किया जाय।

(2) उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी।

(3) उपर्युक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण शासनादेश संख्या-1/3/98-का-प्रसको/1999, दिनांक 14.06.1999 के प्रस्तर-1 में अंकित प्राविधानों के अनुसार करने के उपरान्त, विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 विभागीय मंत्री एवं मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर आवेदन पत्र अग्रसारित किये जायें।

2- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव

संख्या-1/3/98(1)-का-प्रसको-2016, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in